

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उद

विपक्षी

मुकदमा

वाक

पत्रावली संख्या 22/202

कार्यवाही विवरण

9.6.25

पत्रावली पेश हुई। वादी-अधिवक्ता अनुपस्थित प्रकरण लम्बे समय तक लामील हेतु नियत है। वादी अधिवक्ता द्वारा सम्मन प्रोटेक पेश नहीं किए गए। न्यायालय द्वारा क्लक-क्लक कर कई बार आवाजे लगावाई गई बावजूद इसके कोई उपस्थिति हुआ नहीं। जिसे जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा अपना वाद चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 10 के तहत अदम्य लामील - लामील में खारिज किया जाता है। निर्णय मोहम्मद सुनाया गया प्रकरण फैसल शुक्रा (अंक नम्बर से कम है)।

(स्तोमिका कुमारी)

IAS

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा-उदयपुर पीठासीन अधिकारी सोनिका कुमारी, आई.ए.एस. मुकदमा 22/2024 सन 2024 सीगह वाद श्री कमल पिता शंकर गमेती उम्र 43 वर्ष, निवासी 9 नालफला, चोकड़िया, नाई, तह. गिर्वा उदयपुर (राज.) बनाम श्री कैलाश पिता अम्बालाल गमेती, निवासी बुझड़ा तह. गिर्वा उदयपुर राज0 वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने सोनिका कुमारी, आई.ए. एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता अनुपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :-

वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 के तहत तामिल तकमील में खारिज किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे रुपये की राशि..... आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा को दी जाए।

यह आज तारीख 09 माह 06 सन् 2025 को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश
पद उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		